

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 957/2023

UPRN180017792023



सरकार

बनाम

जयसिंह आदि

धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा०द०सं०

मु०अ०सं० 387/2022

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप लोगों जय सिंह, रवि, राहुल, सनी, अवधेश व सागर को निम्नवर्त आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम- यह कि दिनांक 06/07/2022 को समय 20.00 बजे बहद स्थान ग्राम रामनगर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आप लोगों ने एक साथ मिलकर बलबा किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **147 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने एक साथ मिलकर धारदार हथियार व लाठी-डण्डों से ससज्जित होकर बलवा किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा **148 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा प्रेमा देवी व उसके परिवारीजन सोमवती, शालू, अनीता व अर्चना को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **323 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा प्रेमा देवी को गाली गलौज कर लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा **504 द०प्र०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा प्रेमा देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा **506 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप लोगों को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 09/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 09/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562